न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची)

वाद संख्या– M-05/2017, धारा–107 द०प्र०सं०

रथु साहु वगैरह..प्रथम पक्ष।

बनाम

जयलाल साहु वगैरह..............................द्वितीय पक्ष।

तिथि	आदेश
13/10/2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, सोनाहतु के DR–1005/16 दिनांक–30/12/17 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द0प्र0सं0 की धारा 107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों की ओर से कारण पृच्छा दाखिल की गई है। दोनों पक्षों ने अपने उपर लगाए गए आरोपों का खण्डन करते हुए एक–दूसरे पर शांति भंग करने का आरोप लगाया है। यह वाद पूर्व से जमीनी विवाद एवं आपसी झगड़ा के कारण उत्पन्न हुआ है।

प्रथम पक्ष गवाहीः–

गवाह संख्या–01

प्रथम पक्ष की ओर से माधा महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष में जमीन का हिस्सा बँटवारा लेकर झगड़ा होता है। जमीन विवाद को छोड़कर और कोई दूसरा झगड़ा को मैं नहीं जानता हूँ। उभय पक्ष में बोला–बोली होने के बाद में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के दूकान में ताला लगा दिया इसे मैं जानता हूँ। प्रथम पक्ष के दूकान में द्वितीय पक्ष द्वारा ताला लगाया हुआ एक साल से ज्यादा हो गया है। प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से जान का भय है या नहीं इसे मैं नहीं कह सकता हूँ।

गवाह संख्या–02

रथू साहु(पार्टी गवाह) ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मेरा दूकान को द्वितीय पक्ष बन्द किया है। मैं खेलने का प्रयास कर रहा था, तब विवाद हुआ। मेरा दूकान लगभग डेढ़ साल से बन्द है। यह मुकदमा मैं दूकान बन्द करने एवं घर बनने को लेकर किया हूँ। मेरा दूकान खाता संख्या–147, प्लॉट संख्या–4054 में है। घर जो द्वितीय पक्ष बना रहा है। उसका खाता संख्या–125, प्लॉट संख्या–4055 है। दोनों पक्षों के बीच विवाद होने की संभावना है, लेकिन केस होने के बाद विवाद नहीं हुआ है। हमलोग तीनों भाईयों के बीच बँटवारा नहीं हुआ है। उसी को लेकर द्वितीय पक्ष द्वारा मेरे दुकान को बन्द कर दिया गया है।

द्वितीय पक्ष गवाहीः–

गवाह संख्या–01

जयलाल साहु ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि हमलोग उभय पक्ष में जमीन का बँटवारा हो गया है। मेरा बड़ा भाई को खाता संख्या–147 में हिस्सा मिला है। मुझे खाता संख्या–125, प्लॉट संख्या–4055 में 10 डी0 हिस्सा मिला है। इसी में मैं अपना घर बना रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई(प्रथम पक्ष) घर बनाने नहीं दे रहा है। मेरा बड़ा भाई अपना हिस्सा में घर बना कर आराम से रह रहा है। जमीन संबंधी सारा कागजात मेरा बड़ा भाई के पास है। 2003 से मेरा बड़ा भाई के साथ विवाद चल रहा है। विवाद का मूल उद्देश्य जमीन विवाद का है।

कृ०पृ०उ०

उत्तर – रथु साहु

गवाह संख्या–02

राजेश गुप्ता ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि प्रथम पक्ष हमलोगों को घर बनाने नहीं दे रहा है। खतियानी बाड़ी एवं खरीदा हुआ जमीन को मिलाकर हमलोग दोनों पक्ष आपस में बँटवारा कर लिए है। रथू साहु झगड़ालू प्रवृत्ति के है। हमलोगों को परेशान करते है तथा घर बनाने नहीं दे रहे है। रथू साहु 2003 से हमलोग से झगड़ा करता है, लेकिन इसका केस हमलोग नहीं किए है। थाना में भी लिखकर नहीं दिए है। वर्त्तमान में रथू साहु दुकानदारी नहीं करता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस को सुनने, पुलिस प्रतिवेदन एवं गवाहों के बयान से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष में संपत्ति एवं जमीन के बँटवारे को लेकर विवाद है। उभय पक्ष भाई–भाई है एवं उनके द्वारा यह स्वीकर किया गया है कि विवाद का मूल कारण संपत्ति एवं जमीन का बँटवारा है। जिसका विवाद 2003 से चल रहा है। बँटवारे से संबंधित विवाद का फैसला करने हेतु यह सक्षम न्यायालय नहीं है। इस वाद में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है और न ही वाद की कार्रवाई के दौरान शांति भंग होने के संभावना की पुष्टि हो पाई है।

अतः वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश के वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आहत पक्षकार सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

लेखापति एवं संशोधित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

13/10/17
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।